साधारण बंधक का विलेख – प्रारूप

यह बंधक विलेख दिनांकमाहसन्को श्रीवर्ष निवासी आत्मज आयुवर्ष निवासी(जिसे आगे ''बंधककर्ता'' कहा गया है) एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है तथाआत्मजआत्मज आयुवर्ष निवासी (जिसे आगे ''बंधक ग्रहिता'' कहा गया है) एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है के
उक्त प्रथम पक्षकार का निम्नानुसार एक मकान जोमें में रोड़ पर स्थित है, और जिसका कि वह पूर्ण रूपेण स्वामी होकर उस पर उसका अधिपत्य है :–
(बंधकित संपत्ति का विस्तृत विवरण)
और चूंकि बंधककर्ता को कौटुम्बिक आवश्यकता के लिए रू की आवश्यकता है, जिससे बंधककर्ता अपने मकान को उक्त बंधकग्रहिता के पास बंधक रखकर प्राप्त करने का इच्छुक है एवं उक्त बंधकग्रहिता भी इसके लिए सहमत है । अतएव अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है :- (1) कि बंधककर्ता ने बंधकग्रहिता से रू प्राप्त कर अभिस्वीकृति एवं प्रतिभूति के स्वरूप अपनी संपत्ति बंधकग्रहिता के पास बंधक रख दिया है एवं यह बंधक विलेख निष्पादित कर दिया है।
(2) कि उक्त रकम को रूपित सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित बंधकग्रहिता द्वारा मांग किये जाने पर बंधककर्ता अदा कर देगा ।
(3) कि बंधककर्ता द्वारा देय राशि को सर्वप्रथम ब्याज के लिए जमा किया जायेगा एवं शेष रकम को मूल धन से जमा किया जायेगा ।
(4) कि यदि बंधककर्ता उक्त रकम की अदायगी में चूक करे या अदा करने में असफल रहे तो बंधकग्रहिता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बंधकित संपत्ति का विक्रय कर अपने ऋण को वसूल कर ले और उक्त बंधकित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त धन अपर्याप्त हो तो वह बंधककर्ता की अन्य संपत्ति से उसे वसूल कर सकेगा ।
(5) कि बंधककर्ता उक्त बंधकित संपत्ति को बंधक समय के अंदर किसी अन्य किसी अंतरित नहीं करेगा और न ही उसे भारग्रस्त करेगा ।
(6) कि जब भी बंधककर्ता बंधकग्रहिता को बंधक धन की अदायगी करेगा तो बंधकग्रहिता उसे प्राप्ति की रसीद देकर बंधक मोचन का विलेख लिख देगा ।
(7) कि बंधककर्ता यह भी करार करता है कि बंधकित सम्पत्ति पर भारित करों का वह भुगतान करता रहेगा और इसमें चूक होने पर बंधकग्रहिता उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(8) कि बंधककर्ता एवं बंधकग्रहिता शब्द में उससे दायाद, उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशित भी सम्मिलित समझे जायेंगे ।
उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।
साक्षीगण :— (1) (2)
हस्ताक्षर(बंधककर्ता)
हस्ताक्षर हस्ताक्षर
(बंधकग्रहिता)